लोक सुनवाई का वृत।

श्री ऋषभ प्रताप सिंह, पिता–श्री रूद्र प्रताप सिंह, ग्राम–जाहानाबाद, थाना–कुदरा, जिला–कैमूर द्वारा कुदरा खिचाव 01 (ब्लॉक–01 और 08), कुदरा सोन नदी बालू घाट, मौजा–वैन, इटाही, बसही, अमियाउरा, नाटेया, कैठिया, सुल्तानपुर और केशोपुर, प्रखंड–कुदरा जिला–कैमूर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 12.06.2023 को पूर्वाह्न 12:00 बजे अंचल कार्यालय कुदरा, कुदरा, जिला–कैमूर (भभुआ) में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2264/2023, dt. 31.01.2023 के आलोक में डॉ संजय कुमार, अपर समहर्त्ता, कैमूर (जिला पदाधिकारी, कैमूर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 12.06.2023 को पूर्वाह्न 12:00 बजे अंचल कार्यालय कुदरा, कुदरा, जिला–कैमूर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा आज, हिन्दूस्तान टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, प्रभात खबर, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 25.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री सैन कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पूर्णियाँ द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा सं ोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्दे य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमिर अख्तर ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियन्त्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (57 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री अनिल कुमार, ग्राम–डिहरा जिला–कैमूर।	इनके द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा बताया गया कि सही तरीके से बालू खनन से पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी, आस–पास के लोगों को फायदा होगा और रोजगार मिलेगा।
2.	श्री उपेन्द्र सिंह, पिता–श्री राम लाल सिंह, ग्राम–ईटही जिला–कैमूर।	इनके द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा बताया गया कि सही तरीके से बालू खनन से पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी, आस–पास के लोगों को फायदा होगा और रोजगार मिलेगा।
3.	मो0 मौसाद अंसारी, पिता–स्व0 असगर अंसारी, ग्राम–बसही ,जिला–कैमूर।	इनके द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा बताया गया कि सही तरीके से बालू खनन से पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी, आस–पास के लोगों को फायदा होगा और रोजगार मिलेगा।
4.	श्री अनुराग सेठ, पिता–श्री अशोक सेठ, ग्राम–कुदरा, जिला–कैमूर।	इनके द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा बताया गया कि सही तरीके से बालू खनन से पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी, आस–पास के लोगों को फायदा होगा और रोजगार मिलेगा।
5.	श्री वीरेन्द्र प्रसाद, पिता–स्व0 मुरली प्र0 गुप्ता, ग्राम–बनगौलिया, जिला–कैमूर।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना से कोई क्षति नहीं होगी। बालू खनन परियोजना शुरू होना चाहिए।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों का तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा। उनके द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालूघाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी	अपर समहर्त्ता,
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पूर्णियाँ	कैमूर

उपस्थिति सूची

श्री ऋषभ प्रताप सिंह कुदरा सोन नदी कुदरा खिचाव 01 (ब्लॉक 01-08) द्वारा बालू घाट, मौजा-वैना, इटाही, बसही, अमियाउरा, नाटेया, कैठिया, सुल्तानपुर और केशोपुर, थाना-दाउदनगर, अंचल- कुदरा, मोहनियाँ और रामगढ़, जिला-कैमूर (भभुआ) में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान-अंचल कार्यालय, कुदरा, दिनांक 12.06.2023 समय-12:00 A.M

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Dr SANJAY KUMAR DDM Kaimur	Collectorate Kaimur	[signature] 12.6.2023
2.	Sam Kumar. R.O. Purnea	Bihar State Pollution Control Board.	[signature] 12-6-23
3.	AMIR AKHTAR	Rian Enviro, Razabazan Patna	[signature] 12/6/23
4.	Kartik Kumar	District Mining office Kaimur	[signature] 12/6
5.	Rajeev Kumar	Assistant Scientific Officer, BSPCB, Patna	Rajeev Kumar 12/6/23
6.	दिलीप सिंह	अमियावर	दिलीप सिंह
7.	मोसाफिर ओला	बसही	मोसाफिर ओला
8.	राजेश राम	वैना	राजेश राम
9.	राकेश चौबे	बसही	राकेश चौबे
10.	गुड्डु सिंह	इटही	गुड्डु सिंह
11.	रविन्द्र सिंह	वैना	रविन्द्र सिंह

12.	उपेन्द्र सिंह	इटहरी	उपेन्द्र सिंह
13.	किरन सिंह	नटैयाँ	किरन सिंह
14.	Anurag Seth	Sultanpur	Anurag Seth
15.	Vijay Verma	Katria	Vijay Verma
16.	Vicky-Kumar	Keshopur	
17.	दशरथलाल	नटैयाँ	दशरथलाल
18.	शालू पाण्डे	नटैआ	शालू पाण्डे
19.	चन्द्र कुमार	इटहरी	Chandan
20.	रविन्द्र कुमार [illegible]	इटहरी	[illegible]
21.	वीरेन्द्र कुमार	बसही	वीरेन्द्र कुमार
22.	अजीत कुमार	खजेही	विक्रम सिंह
23.	Vikash Singh	Sultanpur	Vikas Singh
24.	Rahul Kumar	कैथीमा	Rahul
25.	दीपक सिंह	कोपुर	Deepak
26.	Dhiraj Kr	Sultanpur	[illegible]

27.	प्रिंस सिंह	केशोपुर	प्रिंस सिंह
28.	दुर्गेश कुमार	बैना	दुर्गेश कुमार
29.	मनवर सोहेल	म वरसडी	मनवर
30.	भानु प्रताप सिंह	केशोपुर	भानु
31.	मनीष कुमार श्रीवास्तव	कोठिया	मनीष कुमार
32.	चन्दन कुमार सिंह	केशोपुर	चन्दन कुमार सिंह
33.	निरंजन चौबे	बसही	निरंजन चौबे
34.	संतोष कुमार	[illegible]	संतोष कुमार
35.	विकास	केशोपु	विकास
36.	दिलिप	बसही	दिलिप
37.	Afroj Alam	नरेपा	Afroj Alam
38.	रामबहादुर	केशोपुर	Ramsi
39.	[illegible]		
40.			
41.			